

प्रेस विज्ञापन

दिनांक: 21.04.2026


पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारियों एवं मल्टी पोस्ट EVM(S-3 मॉडल) हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा समस्त जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित:

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारियों को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आज दिनांक 21.04.2026 को अपराह्न 3:00 बजे BSWAN के माध्यम से समस्त जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक बैठक का आयोजन किया। जिसमें मुख्यरूप से पूर्व में दिनांक 09.04.2026 को जारी पत्र द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्वग्राम की जनसंख्या दर्शाते हुए प्रपत्र-01 के प्रकाशन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। वेबसाइट पर जनसंख्या प्रविष्टि में आ रही संबंधित कठिनाइयों को जिलों द्वारा आयोग को प्रतिवेदित की गई, जिनके निराकरण एवं मल्टी पोस्ट EVM(S-3 मॉडल) भंडारण व्यवस्था के समुचित प्रबंधन हेतु यह बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया की आधारभूत दस्तावेज प्रपत्र-01 से संबंधित प्रक्रिया पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देशित किया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वार्ड वार जनसंख्या का सत्यापन कर वेबसाइट पर प्रविष्टि तकनीकी दल से समन्वय कर तत्काल पूर्ण की जाए। दूसरी ओर प्रपत्र-01 में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इस हेतु उपजिला स्तर पर दोहरी जाँच अनिवार्य रूप से की जाए। इसके अलावा निर्धारित तिथि से पूर्व प्रपत्र-01 का प्रकाशन संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर विधिवत करने तथा प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण नियमावली की समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मल्टी पोस्ट EVM(S-3 मॉडल) प्राप्ति के उपरांत वेयरहाउस में रखरखाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ध्यातव्य है कि अप्रैल माह में ही मल्टीपोस्ट EVM जिलों को प्राप्त होना प्रस्तावित है। जिसके सुरक्षित भंडारण हेतु मुख्यतः निर्देशित किया गया कि सुरक्षित वेयरहाउस में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी एवं सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में FLC (फर्स्ट लेवल चेकिंग) निर्धारित तिथि तक पूर्ण की जाए तथा ससमय आयोग को प्रेषित की जाए। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री मुकेश कुमार सिन्हा, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त श्री शम्भू कुमार एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पहली बार पंचायत/नगरपालिका आम-उप निर्वाचन 2026 में मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए आयोग द्वारा मल्टी पोस्ट S-3 मॉडल EVM की 32,200 कन्ट्रोल यूनिट एवं 1,93,200 बैलेट यूनिट क्रय किए जा रहे हैं।



इस EVM की विशेषता यह है कि एक कंट्रोल यूनिट (C.U.) से छः पदों का मतदान एवं मतगणना एक साथ की जा सकती है, इसका सन्दर्भ यह है मल्टी पोस्ट EVM(S-3 मॉडल) में एक कंट्रोल यूनिट (C.U.)के साथ एक से अधिक बैलट यूनिट (B.U.) कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे एक साथ अनेक पदों हेतु मतदान सुगमतापूर्वक संभव है। परम्परागत EVM की तुलना में यह मशीन और अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं त्रुटिरहित मतदान एवं मतगणना सुनिश्चित करती है। साथ ही इसमें छेड़छाड़-रोधी (Tamper Proof) S.M.M. (स्टोरेज एंड मेमोरी मॉड्यूल) कार्ड एवं टोटलाईजर की व्यवस्था है, जो मतगणना प्रक्रिया को और अधिक सटीक एवं विश्वसनीय बनाती है।


संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार